फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

सुभाष बनाम स्टेट

प्रकरण संख्या 205/2026

किस्म मुकदमा : **136 LRA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
08.06.2026	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 199/201, 200/21 की भूमि में प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र पूर्णदास दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुभाष पुत्र पूर्णराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र पूर्णदास के स्थान पर सुभाष पुत्र पूर्णराम दर्ज करने के आदेश फरमावे। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र पूर्णदास के स्थान पर सुभाष पुत्र पूर्णराम किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 199/201, 200/21 की भूमि में प्रार्थी संयुक्त खाता में खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र पूर्णदास दर्ज है प्रार्थी द्वारा सुभाष पुत्र पूर्णदास के स्थान पर सुभाष पुत्र पूर्णराम दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी का नाम सही किया जाना उचित है। अत प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 199/201, 200/21 की भूमि में प्रार्थी का नाम सुभाष पुत्र पूर्णदास के स्थान पर सुभाष पुत्र पूर्णराम का संशोधन किया जाता है। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। Rahul उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	